भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 326

मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े

326. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि/कमी के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को और उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में प्राप्त हुए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में राज्यों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में बहुमूल्य धातुओं के आयात में कोई कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भारत से बहुमूल्य धातुओं के निर्यात के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, देश में एफडीआई अंतर्वाह में बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में, भारत में एफडीआई अंतर्वाह 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और तब से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना उच्चतम वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया। इसके पश्चात्, वैश्विक मंदी के खतरे, भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण आर्थिक संकट और वैश्विक संरक्षणवादी उपायों से इसमें थोड़ी गिरावट आई है। तथापि, चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, इसमें पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में 26 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई (अर्थात् 33.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 42.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक)। एफडीआई अंतर्वाह में बढ़ोतरी/कमी, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार के आकार, अवसंरचना, राजनैतिक और सामान्य निवेश माहौल के साथ-साथ समग्र आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश निर्णय जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

हाल ही के वर्षों में संसूचित किए गए कुल एफडीआई अंतर्वाह का वित्त वर्ष-वार ब्यौरा, जिसमें इक्विटी अंतर्वाह, पुनर्निवेशित आय, अन्य पूंजी और अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी शामिल है, का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम.सं.	**वित्त वर्ष**	**कुल एफडीआई अंतर्वाह (राशि बिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
1	2019-20	74.39
2	2020-21	81.97
3	2021-22	84.84
4	2022-23	71.36
5	2023-24	71.28
6	2024-25 (सितंबर,2024) (अ)	42.10

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, (अ): (अनंतिम)

(ख) : सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष औद्योगिक चेम्बर्स, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों तथा अन्य संगठनों सहित हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श करके उनके विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसमें परिवर्तन करती है। वर्ष 2019 से, एफडीआई नीति के प्रावधानों को पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाएं, परिसंपत्ति पुनर्निर्धारण कंपनियों, ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्यूटिकल्स, सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार, निर्माण और विकास, पावर एक्सचेंज, ई-कॉमर्स कार्यकलाप, कोयला खनन, संविदागत विनिर्माण, डिजिटल मीडिया, नागर विमानन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों हेतु निरंतर उदार और सरल बनाया गया है। हाल ही में, रक्षा, अंतरिक्ष, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा दूरसंचार जैसे क्षेत्रों की एफडीआई नीति में सुधार किए गए हैं।

(ग) : एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाटा अक्तूबर, 2019 से रखा जा रहा है। इसमें पुनर्निवेशित आय, अन्य पूंजी और अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी शामिल नहीं है। अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2024 तक देश में संसूचित किए गए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ) : एफडीआई नीति एक सक्षमकारी नीति है और यह देश में समान रूप से लागू होती है। यह नीति किसी राज्य विशेष को विशेष छूट प्रदान नहीं करती है और सभी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे देश में समान रूप से लागू होती है।

(ङ) : वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2024-25 के दौरान, सोना और चांदी के आयात में मात्रा के संदर्भ में गिरावट आई है और मूल्य के संदर्भ में वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्लेटिनम के आयात में मात्रा और मूल्य दोनों ही संदर्भ में वृद्धि हुई है।

आयात	अप्रैल से दिसंबर 2023-24		अप्रैल से दिसंबर 2024-25	
	टन	बिलियन अमेरिकी डॉलर	टन	बिलियन अमेरिकी डॉलर
सोना (एचएस 7108)	622.32	35.95	551.51	42.08
चांदी (एचएस 7106)	3337.04	2.41	2976.86	2.75
प्लेटिनम (एचएस 7110)	8.24	0.22	248.39	2.61

स्रोत: डीजीसीआई और एस

(च) : वाणिज्य विभाग, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) सहित उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा प्रमुख बाजारों को बनाए रखते हुए नए बाजारों और नए उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कीमती धातुओं के निर्यात के लिए पहल कर रहा है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 326 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वित्त वर्ष-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-20 (अक्तूबर 2019 से)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (सितंबर, 2024 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महाराष्ट्र	7,556.25	16,169.79	15,438.63	14,806.39	15,115.54	13,551.48
2	कर्नाटक	4,288.98	7,670.49	22,071.94	10,429.37	6,570.62	3,542.33
3	गुजरात	2,591.40	21,890.17	2,705.52	4,713.87	7,300.45	3,948.54
4	दिल्ली	3,998.49	5,471.05	8,189.35	7,534.15	6,523.43	3,204.01
5	तमिलनाडु	1,006.07	2,323.46	3,003.16	2,168.96	2,436.33	1,622.54
6	हरियाणा	726.93	1,697.01	2,798.48	2,599.57	1,907.79	1,313.14
7	तेलंगाना	679.86	1,155.49	1,606.89	1,302.57	3,029.07	1,540.12
8	झारखंड	1,852.04	792.06	6.43	5.62	10.95	-
9	राजस्थान	189.18	272.22	707.09	909.81	265.43	148.6
10	पश्चिम बंगाल	190.76	415.37	427.77	394.28	181.49	113.33
11	उत्तर प्रदेश	242.87	421.79	216.97	419.72	333.61	65.66
12	केरल	57.41	212.27	347.77	164.54	196.7	310.24
13	पंजाब	96.77	644.46	127.01	93.55	180.08	56.05
14	आंध्र प्रदेश	200.97	85.85	224.96	284.22	92.13	197.46
15	मध्य प्रदेश	75.69	206.63	208.53	39.04	23.59	40.8
16	हिमाचल प्रदेश	11.91	10.92	137.99	34.04	55.55	47.9
17	बिहार	5.54	45.08	116.47	47.37	0.16	0.95
18	उत्तराखंड	14.69	5.3	103.99	2.88	60.13	22.97
19	दादर और नगर हवेल दमन और द्वी	2.94	5.03	142.07	17.56	9.24	2.45
20	गोवा	64.93	16.33	37.12	11.73	35.1	9.58
21	ओडिशा	13.05	19.76	95.33	31.63	8.79	3.77

22	चंडीगढ़	3.58	10.03	51.37	13.46	30.88	1.67
23	छत्तीसगढ़	0.03	0.00007	0.98	2.37	50.5	38.38
24	पुदुच्चेरी	0.45	58.21	0.19	4.44	4.76	0.29
25	असम	2.93	11.19	4.4	2.09	0.23	1.83
26	अरुणाचल प्रदेश	0.61	4.95	–	–	–	1.47
27	जम्मू और कश्मीर	–	0.21	0.15	0.72	0.003	0.16
28	त्रिपुरा	–	0.43	0.13	–	0.19	0.47
29	मेघालय	–	–	1.1	–	0.003	0.07
30	लद्दाख	–	0.03	0.14	0.06	–	–
31	नागालैंड	–	–	0.01	–	–	0.05
32	मणिपुर	–	–	–	0.0006	–	–
33	राज्य जिनका उल्लेख नहीं	7.01	19.93	1.32	–	0.62	4.04
	कुल:	**23,881.34**	**59,635.54**	**58,773.27**	**46,034.05**	**44,423.35**	**29,790.35**

*****